मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) (संशोधित) नियम, 2000 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्रकाशन दिनॉक 14 मई, 2009

(हिन्दी एवं अंग्रेजी)

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 मई 2009—वैशाख 24, शक 1931

आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2009

क्र. एफ. 2-45-09-1-आयुष.—मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 21, 22, 26 तथा 48 सह पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खण्ड (ट), (ठ), (ण) तथा (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 4 तथा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

4. पुनरीक्षण एवं सत्यापन.—(1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् राज्य होम्योपैथी रजिस्टर को पुनरीक्षित करेगा और ऐसे समस्त रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथी के व्यवसायियों को, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 22 के अधीन इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष से पूर्व रजिस्ट्रीकृत हों, राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण के लिये सूचना राज्य के कम से कम दो समाचार-पत्रों में अधिसूचना के माध्यम से देगा और पूर्व में राज्य रजिस्टर में दर्ज पते पर प्ररूप "ङ" में आवेदन के साथ प्ररूप "ञ" में एक सूचना पत्र भेजेगा.

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, प्रति तीन वर्ष के भीतर या इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात् प्रथम बार परिषद् द्वारा नियत किसी अन्य तारीख को राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण हेतु उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र एवं पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र, यदि हो, के साथ प्ररूप "ङ" में आवेदन करेगा तथा परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करेगा.

(3) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी उपनियम (2) के अनुसार आवेदन करने में असफल रहता है तो वह परिशिष्ट में यथा-विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण के लिये विलंब फीस का भुगतान करने के पश्चात् प्ररूप ''ङ'' में अधिकतम 180 दिन के भीतर आवेदन कर सकेगा.

(4) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) के अनुसार परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन करने में असफल रहता है तो उसका नाम अधिनियम की धारा 22 के अधीन संधारित राज्य रजिस्टर से हटा दिया जाएगा. वह परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने के पश्चात् प्ररूप ''ङ'' में अपने नाम के प्रत्यावर्तन के लिये 180 दिन के भीतर आवेदन कर सकेगा.

(5) राज्य रजिस्टर में प्रविष्टि पुनरीक्षित होने के पश्चात् व्यवसायी परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करेगा तथा सिर्फ तभी वह पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगा.

(6) आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिये व्यवसायी परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने के पश्चात् उसकी दूसरी प्रति अभिप्राप्त करने का कारण शपथ-पत्र में दर्शाते हुए रजिस्ट्रार को आवेदन देगा.

(7) पुनरीक्षण का प्रत्येक ऐसा प्रमाण-पत्र, पृष्ठांकित किया जाएगा और उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि होम्योपैथी के राज्य रजिस्टर में की जाएगी, जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुप्रमाणित और हस्ताक्षरित की जाएगी. प्रविष्टि पुनरीक्षित तथा सत्यापन के पश्चात् प्ररूप ''झ'' में पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र संबंधित व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा.

(8) इन नियमों के अधीन देय पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र, फीस, विलम्ब पुनरीक्षण फीस, नाम प्रत्यावर्तन फीस और अन्य फीस ऐसी होगी जैसी कि परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट की जाए.

(9) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (4) के अनुसार परिषद्, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर सम्यक् और उचित जांच करने के पश्चात् रजिस्टर से किसी भी व्यवसायी का नाम हटा सकेगी, यदि,—

(क) उसकी मृत्यु हो गई हो;

(ख) उसने व्यवसाय करना छोड़ दिया हो;

(ग) इस कारण से कि वह होम्योपैथी से भिन्न किसी चिकित्सा पद्धति का व्यवसायी हो गया है और उसने होम्योपैथी का व्यवसाय करना छोड़ दिया है.

(10) उन व्यवसायियों ने जिन्होंने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण प्रचलन समय में करा लिया है, ऐसे व्यवसायियों को आगामी उक्त अवधि के लिये अपनी प्रविष्टि का पुनरीक्षण करना अपेक्षित नहीं है.

5 रजिस्टर का प्रकाशन.—(1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक तीन वर्ष में रजिस्टर पुनरीक्षित करेगा और उसमें निम्नलिखित की प्रविष्टि करेगा —

(क) पहले से रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की संख्या,

(ख) रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की संख्या,

(ग) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्टर से अधिनियम की धारा और उपधारा को कथित करते हुए जिसके अधीन उनके नाम हटाये गये हो,

(घ) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम, रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्टर में प्रत्यावर्तित किए गये हों और

(ङ) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम, रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की कालावधि के दौरान मृत्यु के कारण हटाये गये हों.

(2) प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, मध्यप्रदेश राजपत्र में पुनरीक्षित रजिस्टर को 180 दिन के भीतर प्रकाशित किया जावेगा और पुनरीक्षण से प्रतिकूलत: प्रभावित होने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों (प्रेक्टिशनर्स) को उन पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा.

(3) यथास्थिति, इस प्रकार प्रकाशित नियम 3 के अनुसार रजिस्टर या पुनरीक्षित रजिस्टर की एक प्रति परिषद् के सूचना पटल पर लगाई जाएगी.

(4) रजिस्टर की मुद्रित प्रतियां परिषद् द्वारा विनिश्चित की गई कीमत पर विक्रय के लिये उपलब्ध कराई जाएगी.

(5) रजिस्ट्रार, प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान की गई, परिवर्तित की गई या मिटाई गई समस्त प्रविष्टियों को सत्यापित और अधिप्रमाणित करेगा.

2. प्ररूप क, ख, ग के साथ संलग्न परिशिष्ट और प्ररूप घ तथा ङ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप तथा उससे संलग्न परिशिष्ट स्थापित किये जाए, अर्थात् :—

प्ररूप "क"

[नियम 3 (1) देखिए]

राज्य होम्योपैथी रजिस्टर

अनु क्रमांक	पिता/पति के नाम सहित नाम	जन्म तारीख	निवास तथा व्यवसाय का स्थान	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विश्वविद्यालय /बोर्ड का नाम	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा [तारीख धारा 22 (1) के अधीन]	किस तारीख को पुन- रीक्षित	नाम हटाये जाने के कारण तारीख तथा वह नियम जिसके अधीन हटाया गया है	पुन: प्रविष्टि की तारीख	अतिरिक्त अर्हता तथा तारीख	स्वनियोजित /नियोजित (नियोक्ता, कार्यालय)	अन्त: शिक्षुता (इन्टर्नशिप) की कालावधि	अभि- युक्तियां	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

प्ररूप "ख"

[नियम 3 (2) देखिए]

अनु क्रमांक	पिता/पति के नाम सहित नाम	जन्म तारीख	निवास का पता	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	निरसित अधिनियम की धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण	निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण क्रमांक एवं दिनांक	पुन: प्रविष्टि की तारीख़ [धारा 22 (2) के अधीन]	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख [धारा 22 (2) के अधीन]	किस तारीख को पुन- रीक्षित	नाम हटाये जाने के कारण तारीख तथा वह नियम जिसके अधीन हटाया गया है	पुन: प्रविष्टि की तारीख	अतिरिक्त अर्हता तथा तारीख	अभि- युक्तियां	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप ''ग''

[नियम 3 (3) देखिए]

अनु. क्रमांक	पिता/पति के नाम सहित नाम	जन्म तारीख	निवास का पता	शैक्षणिक तथा चिकित्सीय अर्हता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	संस्था का नाम	उस बोर्ड या विश्व-विद्यालय का नाम, जहां से चिकित्सीय अर्हता उत्तीर्ण की है	अनंतिम रजिस्ट्री-करण क्रमांक	वह तारीख जिस को अन्तः शिक्षुता (इन्टर्नशिप) पूर्ण की है	धारा 22 के अधीन रजिस्ट्री-करण	वह तारीख जिसको (डिप्लोमा) /पत्रोपाधि/ डिग्री जारी की गई	अभि-युक्तियां	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षरों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप ''घ''

[नियम 3 (4) देखिए]

पासपोर्ट फोटो

राज्य होम्योपैथी परिषद, मध्यप्रदेश

(मुद्रा)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ..... तारीख .....

प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि डाक्टर .....

पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति ..... निवासी .....

जिला ..... मध्यप्रदेश को, मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1976 की धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी के रूप में ..... अर्हता के आधार पर, सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है.

इसके साक्ष्य स्वरूप यहां परिषद के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर तथा उनकी मुद्रा लगाई गई है.

(मुद्रा)

भोपाल..... रजिस्ट्रार

तारीख ..... मुद्रा

टिप्पण :—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथी व्यवसायी, प्रत्येक तीन वर्ष के भीतर उसका/उसकी प्रविष्टि पुनरीक्षण हेतु प्ररूप ''ङ'' में नियमानुसार आवेदन करेगा.

परिषद में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसायी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने नाम/उपनाम, आवासीय/व्यावसायिक पते, सेवा (शासकीय/अशासकीय) में परिवर्तन होने, अतिरिक्त मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता अर्जित करने के संबंध में रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से तुरन्त सूचित करेगा तथा रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा अनिवार्य रूप से उपरोक्त संबंधी जानकारी रजिस्ट्रार द्वारा मांगे जाने पर प्रदान करेगा.

रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम राज्य होम्योपैथी रजिस्टर से बिना सूचना के हटाया जाएगा यदि वह नियमानुसार पुनरीक्षण या राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में नाम बने रहने के लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है.

प्ररूप ''ङ''

[नियम 4 (1) (3) (4)]

राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में प्रविष्टि का पुनरीक्षण/नाम बनाये रखने/नाम प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन

प्रति,

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद,
भोपाल—462011

पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें.

महोदय,

मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में मेरा नाम प्रविष्ट किया गया है तथा मुझे रजिस्ट्रीकरण क्रमांक . . . . . जारी किया गया है. मेरा नाम उक्त रजिस्टर में चालू रखने/नाम प्रत्यावर्तन हेतु मैं मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि/पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर रहा/रही हूं.

मैं राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में पुनरीक्षण तथा अपना नाम निरंतर रखने हेतु आवेदन करने में असफल रहा/रही हूं. विलम्ब पुनरीक्षण फीस रुपये . . . . . तथा अधिकतम रुपये . . . . . के अध्यधीन रहते हुए अतिरिक्त विलंब फीस रुपये . . . . . प्रति माह, कुल राशि रुपये . . . . . नगद/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक . . . . . (बैंक का नाम) . . . . . के माध्यम से संलग्न है.

1. आवेदक का नाम/उपनाम
   (हिन्दी में) . . . . . .
   (अंग्रेजी में) . . . . . .
2. पिता/पति का नाम . . . . . .
3. वर्तमान निवास स्थान . . . . . .
   . . . . . .
   मोबाईल नं. . . . . .
   व्यवसाय—
   स्वनियोजन . . . . . .
   पता . . . . . .
   . . . . . .
   नियोजित . . . . . .
   नियोक्ता/ . . . . . .
   कार्यालय . . . . . .
   पता . . . . . .
   . . . . . .

	दूरभाष क्र.	.....
	मोबाईल नं.	.....
4.	जन्मतिथि	
	(अंग्रेजी कलैण्डर में)	दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....
5	अर्जित अतिरिक्त अर्हता	
	अर्जित करने की तिथि	दिनांक ..... वर्ष .....
	विश्वविद्यालय/बोर्ड	
6.	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा दिनांक	.....
7.	क्या आपको किसी अपराधिक/वृत्तिक अवचार में	
	न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है	(हां/नहीं)
		मामला क्रमांक .....
		दंड की प्रकृति .....
		न्यायालय का नाम .....
8.	नाम प्रत्यावर्तन फीस	नगद .....
		बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .....
		बैंक का नाम .....
		रुपये (कुल) .....
9.	पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र के लिए फीस	नगद .....
		बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .....
		बैंक का नाम .....
		रुपये (कुल) .....
10.	अन्य वांछित सेवाएं	.....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं अभिलेखों के आधार पर सत्य है. प्रशंसा पत्रों (टेस्टिमोनियल) की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं.

(आवेदक के हस्ताक्षर तथा नाम)

टिप्पण.—जो लागू न हो उसे काट दें.

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि—

(1) पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र फीस रुपये ..... अतिरिक्त विलंब फीस/नाम प्रत्यावर्तन फीस रुपये ..... कुल रुपये ..... रसीद क्र. .....
दिनांक ..... द्वारा प्राप्त की गई.

(2) प्रविष्टि का पुनरीक्षण राज्य होम्योपैथी रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक . . . . . पर की गई.

(प्रभारी के हस्ताक्षर) (रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)

पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र, जावक क्रमांक . . . . . तारीख . . . . . को रजिस्ट्रीकृत जावक द्वारा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . से भेजा गया.

(प्रेषक के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट

[नियम 4 (3) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य मामलों के लिए परिषद को देय फीस

अनु. क्रमांक (1)	विशिष्टियां (2)	फीस की दर (3)	नियम क्रमांक (4)
1.	पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र फीस	रु. 50/-	4 (2)
2.	विलंब पुनरीक्षण फीस	रु. 50/- प्रति मास अधिकतम रु. 300/- के अध्यधीन रहते हुए.	4 (3)
3.	धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस	रु. 2000/-	6
4.	धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस	रु. 1500/-	7 (1)
5.	धारा 24 से धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये विलंब फीस.	रु. 100/- प्रति मास रु. 500/- के अध्यधीन रहते हुए.	7 (4)
6.	अर्हता की अतिरिक्त प्रविष्ट के लिये फीस	रु. 500/-	8
7.	रजिस्ट्रीकरण की द्वितीय प्रति के लिये फीस	रु. 1000/-	9
8.	उपनाम या पते के परिवर्तन के लिये फीस	रु. 200/-	10
9.	सत्यापन फीस	रु. 500/-	12
10.	अपील फीस	रु. 100/-	14 (ख)
11.	नाम प्रत्यावर्तन फीस	रु. 500/-	4 (4)
12.	पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति की फीस	रु. 25/-	4 (6)
13.	राज्य रजिस्टर की मुद्रित सूची	रु. 1500/-	5 (4)

टिप्पण.—विहित फीस, डाक प्रभार को अपवर्जित करके है जो परिषद् द्वारा कहे जाने पर पृथक से देय होगी.

3. प्ररूप "ज" के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

पासपोर्ट फोटो

प्ररूप "झ"

[नियम 4 (7) देखिए]

राज्य होम्योपैथी परिषद, मध्यप्रदेश

पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि डॉ. . . . . पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति . . . . . रजिस्ट्रीकरण क्रमांक . . . . . का नाम राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में निरंतर रखा गया है और तारीख . . . . . को इनकी प्रविष्टि निम्नानुसार पुनरीक्षित की गई है:—

नाम .....

निवास .....

व्यवसाय—

स्वनियोजन/प्राइवेट प्रेक्टिस .....

पता .....

.....

नियोजित .....

नियोक्ता .....

कार्यालय .....

पता .....

.....

अतिरिक्त मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता .....

जोड़ी गई.

इसके साक्ष्यस्वरूप यहां परिषद् के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर तथा उनकी की मुद्रा लगाई गई है.

मुद्रा रजिस्ट्रार

भोपाल . . . . . मुद्रा

तारीख . . . . . .

टिप्पण :—परिषद में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसायी का कर्तव्य होगा कि वह अपने नाम/उपनाम, निवासीय/व्यावसायिक पते, सेवा (शासकीय/अशासकीय) में परिवर्तन होने, अतिरिक्त अर्हता अर्जित करने के संबंध में रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से तुरन्त सूचित करेगा तथा रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा अनिवार्य रूप से उपरोक्त संबंधी जानकारी रजिस्ट्रार द्वारा मांगे जाने पर प्रदान करेगा.

रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम राज्य होम्योपैथी रजिस्टर से बिना सूचना के हटाया जाएगा यदि वह नियमानुसार पुनरीक्षण या राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में अपना नाम बने रहने के लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है.

प्ररूप "ञ"

[नियम 4 (1) देखिए]

मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद

राज्य रजिस्टर में अपने नाम निरंतर बनाए रखने/पुनरीक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों को सूचना

सेवा में,

डॉ. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

विषय: राज्य रजिस्टर में अपने नाम निरंतर बनाए रखने/पुनरीक्षण हेतु व्यक्तिगत सूचना.

महोदय,

आपको (इस पत्र द्वारा) सूचित किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप होम्योपैथी के राज्य रजिस्टर में अपना नाम निरंतर बनाए रखने/पुनरीक्षण के लिए आवेदन-पत्र (प्ररूप ङ) को सम्यक् रूप से भरकर (इस सूचना की तारीख से) तीन दिन के भीतर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रार को भेजें.

भवदीय

रजिस्ट्रार

टिप्पण.—मूल नियम मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना क्र. एफ-16-81-98-55-एम.ई.-2 तारीख 12 दिसम्बर, 2000 को प्रकाशित किया गया है.

No. F. 2-45-09-1-Ayush.—In exercise of the powers conferred by clause (k), (l), (o) and (p) of sub-section (2) of section 51 read with section 21,22, 26 and 48 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976 (No.19 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules 2000, namely :—

AMENDMENT

1. In the said rules for, rule 4 and 5, the following rules shall be substituted namely :—

"4 Revision and Verification:—(1) The Registrar shall revise the State Register of Homoeopathy, after every three years and shall intimate for the revision of State Register to all such registered practitioners of Homoeopathy who are registered earlier than one year from the date of publication of these rules under section 22 of the Act, through a notification in at least two state newspapers, and send a letter of intimation in Form "J" along with an application in Form "E" at the address entered in state register.

(2) Every registered practitioner, within every three years or on any other date fixed by the council for the first time after publication of these rules, for revision of state register, shall apply in Form "E" along with his / her certificate of registration, and certificate of revision, if any and shall pay the fee as specified in the Appendix.

(3) If any registered practitioner fails to apply in accordance with sub rule (2) then he / she may apply within a maximum period of 180 days in Form "E" after the payment of late fees for revision as specified in the Appendix.

(4) If any person fails to apply along with the fee as specified in the Appendix in accordance with sub-Rule (3) then his / her name in the state register maintained under section 22 of the Act, shall be removed. He /she may apply within a period of 180 days for restoration of his name in Form "E" after paying the fee as specified in the Appendix.

(5) After the entry is revised in the state register, the practitioner shall pay the fees as specified in the Appendix and only then can obtain the certificate of revision.

(6) To obtain the duplicate copy of certificate of revision as per need, the practitioner will submit an application to registrar after paying the fee as specified in the Appendix accompanied by an affidavit showing cause for obtaining the duplicate copy thereof.

(7) Every such certificate of revision, shall be endorsed and its corresponding entry shall be made in the state register of homoeopathy, which shall be attested and signed by the registrar. After revision and verification of the entry, the certificate of revision in Form "I" shall be sent to the person concerned through registered post.

(8) The fees for certificate of revision, late fee for revision, fee for restoration of name and other fees payable under these rules shall be such as specified in the Appendix.

(9) In accordance with sub section (4) of section 25 of the Act, the council may on its own motion or on the application of any person, after due and proper enquiries, remove the name of any practitioner from the register, if, he,

(a) has expired ;

(b) has ceased to practice;

(c) being a practitioner in any system of medicine other than Homoeopathy and has ceased to practice Homoeopathy.

(10) Those practitioners who have renewed the certificate of registration at the time of prevalence such practitioners are not required to revise their entry for the further said period.

5 Publication of the Register.—(1) The Registrar shall revise the register every three years and enter therein-

(a) the number of practitioners already registered :

(b) the number of practitioners registered during the period of three years preceding the revision of the register.

(c) the number of practitioners whose names have been removed from the register during the period of three years preceding the revision of the register stating the sub-section and section of the Act under which the names have been removed.

(d) the number of practitioners whose names have been restored to the register during the period of three years preceding the revision of the register, and

(e) the number of practitioners whose names have been removed by reason of death during the period of three years preceding the revision of the register.

(2) The revised register shall be published in the Madhya Pradesh gazette within 180 days after completion of every three years and the registered practitioners adversely affected by the revision shall be informed of the adverse effects on them, by registered post.

(3) the copy of register in accordance with Rule 3 of the revised register, as the case may be, so published shall be affixed on the notice board of the council.

(4) printed copies of the register may be made available for sale at a price to be decided by the council.

(5) the Registrar shall verify and authenticate all entries that may be made, altered or erased during each three years.

2. For Forms A, B, C along with the Appendix, D and E, the following Forms and Appendix attached hereto shall be substituted namely:—

FORM "A"
[See Rule 3 (1)]

State Register of Homoeopathy

S. No.	Name with Father/ husband name	Date of birth	Residence and place of practice	Recognised Medical Qualification	Year of passing	Name of University/ Board	Registration Number and date [U/s 22 (1)]	Revised on date	Reason for removal of name date and Rule under which removed	Re-entry date	Additional qualification and date	Self employed / Employed (Employer, Office)	Period of Internship	Remarks	Signature of Registrar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

FORM "B"
[See Rule 3 (2)]

S. No	Name with Father/ husband name	Date of birth	Residential address	Recognised Medical Qualification	Registration under section of the repealed Act	Registration Number and date under the repealed Act	Date of Re entry [u/s 22(2)]	Registration No. and date [u/s 22(2)]	Revised on date	Reason for removal of name date and Rule under which removed	Re-entry date	Additional qualification and date	Remarks	Signature of Registrar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

FORM "C"
[See Rule 3 (3)]

S. No.	Name with Father/ husband name	Date of birth	Residential address	Qualification academic and medical	Year of passing	Name of Institution	Name of Board or University passing the Medical Qualification	Provisional Registration No.	Date on which Internship completed	Registration u/s 22	Date on which diploma/ degree issued	Remarks	Signature of Registrar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Form "D"
See Rule 3 (4)

Passport photo

M. P. State Council of Homoeopathy
(SEAL)
Certificate of Registration

Registration No. ..... Date ..... Certificate is granted that Dr. ----------
---------- Son / Daughter / Wife of ----------
Resident of ----------District ----------of Madhya Pradesh has been duly registered on the basis of his/her qualification ----------as a registered Homoeopathic Practitioner under Section 22 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976.

In witness whereof the signature and seal of the Registrar of the Council are herewith affixed.

Seal

Registrar
Seal

Bhopal

Dated ----------

Note:—

Every registered homoeopathic practitioner shall apply for revision of his / her entry within every three years as per Rules in form "E".

It shall be the duty of every practitioner registered with the council to essentially inform immediately any change in his Name / Surname, residential / professional address, service (Government/ Non Government), acquired additional recognized medical qualification to the Registrar and the registered practitioner will also essentially submit the details of the enquiries pertaining to the above, to the Registrar on demand.

The name of the registered practitioner shall be removed without notice from the state register of homoeopathy if he/she fails to apply within the specified time as per Rules for revision and continuation of the name in the state register of homoeopathy.

FORM "'E'
[See Rule 4 (1) (3) (4)]

APPLICATION FOR REVISION OF ENTRY / CONTINUTION OF NAME / RESTORATION OF NAME IN STATE REGISTER OF HOMOEOPATHY

Affix Pasport Size Photo

To,

The Registrar,
M.P. State Council of Homoeopathy,
Bhopal -462011.

Sir,

My name is entered in the state register of homoeopathy under the provisions of M.P. Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 with Registration No.---------- . For continuing / restoration of my name in the said register I am enclosing Xerox copy of certificate of registration / certificate of revision along with two pass port size photos.

I have failed to apply for revision and thus continuation of my name in the state register of homoeopathy. The additional late fee for revision Rs..... per month subject to be maximum of Rs..... Total Rs..... cash/through Bank Draft No.....(Name of Bank) ..... are enclosed.

(1) Name / Surname of Applicant

(In Hindi) ----------

(In English) ----------

(2) Name of Father/Husband ----------

(3) Present Residence ----------

Mobile No. ----------

Profession – Self employed ----------

Address ----------

Employed ----------

Employer ----------

Office ----------

Address ----------

Tele. No. ----------

Mobile No. ----------

(4) Date of Birth (In English calendar) ----------
Date . . . . . Month. . . . . Year . . . . .

(5) Additional Qualification acquired ----------

acquired on Date . . . . . Year . . . . . .

University/Board ----------

(6) Registration No. and date ----------

(7) Have you been punished by Court in any criminal case or professional mis-conduct Yes / No

Case No.----------

Nature of Punishment ----------

Name of court ----------

(8) Fees for Restoration of name In cash----------

Bank draft No.----------

Name of Bank----------

Rs. (Total)----------

(9) Fees for Certificate of Revision In cash----------

Bank draft No----------

Name of Bank----------

Rs. (Total) ----------

(10) Other services desired ----------

Certified that the information furnished above is true to the best of my knowledge and records. The att copies of testimonials are enclosed.

(Signature and Name of applicant)

Note:—Cut which ever is not applicable.

FOR OFFICE USE

Certified that –

(1) The Fees for Certificate of Revision Rs. ---------- additional late fees revision / restoration of Name ..... Total Rs.---------- Rec No. ---------- Date ---------- has been received.

(2) The entry has been revised on ---------- (Page No) in the State Register of Homoeopathy.

(Signature of In charge) (Signature of Registrar)

The certificate of Revision has been sent vide D.No.---------- Date ---------- by Registered post.

Receipt .No. ---------- Date ----------

(Signature of Dispatcher)

APPENDIX
[See Rule 4 (3)]

Fees payable to the Council for registration and other matters

S.No. (1)	Particulars (2)	Rate of fee (3)	Rule No. (4)
1.	Fee for Certificate of Revision	Rs. 50/-	4 (2)
2.	Late fee for Revision	Rs. 50/- per month subject to maximum of Rs. 300/-	4 (3)
3.	Registration fee u/s 22	Rs. 2000/-	6
4.	Registration fee u/s 24	Rs. 1500/-	7(1)
5.	Late fee for Registration u/s 22 from Section 24.	Rs. 100/- per month subject to maximum of Rs. 500/-	7(4)
6.	Fee for additional entry of qualification.	Rs. 500/-	8
7.	Fee for duplicate copy of registration	Rs 1000/-	9
8.	Fee for change of surname or address	Rs. 200/-	10
9.	Verification fee	Rs. 500/-	12
10.	Appeal fee	Rs. 100/-	14 (b)
11.	Fee for restoration of name	Rs. 500/-	4(4)
12.	Fee for duplicate copy of certificate of revision	Rs. 25/-	4(6)
13.	Printed List of State Register	Rs 1500/-	5 (4)

Note .— the prescribed fees are excluding the postal charges which shall be payable separately if asked by the Parishad.

3. After Form 'H' the following Forms shall be substituted namely:—

Form "I"
See Rule 4 (7)

M. P. State Council of Homoeopathy

CERTIFICATE OF REVISION

Passport Photo

Certificate is granted that Dr. --
Son / Daughter / Wife of --
Registration No.---
name has been continued in the State Register of Homoeopathy and on date -------------------entry has been revis
as under—

Name --
Residence --

Profession
Self employed / Private Practice --
Address --

Employed --
Employer --
Office --
Address --

Additional recognized medical qualification added --

In witness whereof the seal and the signature of the Registrar of the Council are herewith affixed.

Seal

Registrar
Seal

Bhopal
Dated --------------

Note:—

It shall be the duty of every practitioner registered with the Council to essentially inform immediately change in his Name / Surname, residential / professional address, Service (Government/ Government), acquired additional recognized medical qualification to the Registrar and the regis practitioner will also essentially submit the details of the enquiries pertaining to the above, to Registrar on demand.

The name of the registered practitioner shall be removed without notice from the state register of homoeo if he/she fails to apply within the specified time as per Rules for revision and continuation of the in the state register of homoeopathy.

Form –J
See Rule 4 (1)

M.P. State Council of Homoeopathy

Notice to Registered Practitioner for Continuation of their name / Revision in the state Register.

To,

Dr.....
.....
.....

Subject : Individual Notice for the continuation of their name / Revision in the state Register.

Sir,

Notice is here by given to you calling upon you to return to the Registrar with in thirty days here of the enclosed application form (Form-E) duly filled in by you for continuance of your name / Revision in the state Register of Homoeopathy.

Yours faithfully
Registrar

Note : The Principle Rules were published in the gazette of Madhya Pradesh vide notification no. F-16-84-93-55 -ME -2 dated 12 Dec. 2000.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

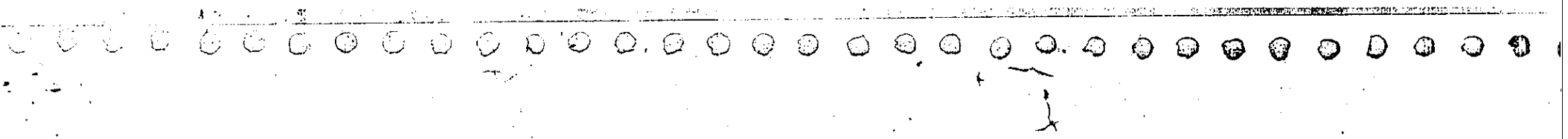

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम.पी. 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 736] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2000—अग्रहायण 21 शक 1922

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2000

क्र. एफ 16-84-98-पचपन-चिंशि-2.—मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 21,22,26 तथा [illegible] धारा 5 की उपधारा (2) के खंड [illegible] तथा [illegible] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

अध्याय एक—प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 2000 है.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) ;

(ख) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्रत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(च) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, अधिनियम तथा होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 से संलग्न अनुसूची;

(छ) "वर्ष" से अभिप्रेत है कलेण्डर वर्ष.

अध्याय दो—रजिस्ट्रीकरण

3. **होमियोपैथी के राज्य रजिस्टर.**—धारा 21 के अधीन रजिस्टर प्ररूप ''क'' ''ख'' तथा ''ग'' में रखे जायेंगे.—

(1) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर प्ररूप ''क'' में उन व्यक्तियों के लिये होगा जो अधिनियम की अनुसूची में वर्णित अर्हता रखते हो;

(2) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर प्ररूप ''ख'' में उन व्यक्तियों के लिए होगा, जो मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद अधिनियम, 1976 द्वारा निरसित मध्यप्रदेश होमियोपैथिक तथा बायोकेमिक प्रेक्टिशनर परिषद अधिनियम, 1951 की धारा 16(2) के अधीन नामांकित किए गए थे और जो मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 1976 के नियम 3 (1) के अधीन रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट थे;

(3) धारा 24 के अधीन रजिस्टर प्ररूप ''ग'' में उन व्यक्तियों के लिए होगा, जिनके लिए अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है.

(4) मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 1976 के अधीन रखे गये रजिस्टर में प्रविष्ट व्यक्तियों के नये रजिस्ट्रीकरण क्रमांक प्ररूप ''क'' तथा ''ख'' में संबंधित रजिस्टरों में अनुपूर्व क्रम में आवंटित किए जायेगा और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररूप ''घ'' में जारी किया जाएगा;

(5) रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा.

4. **सत्यापन तथा नवीकरण.**—(1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् राज्य होमियोपैथी रजिस्टर का सत्यापन करेगा और ऐसे समस्त व्यवसायियों को जिनका नामांकन अधिनियम की धारा 22 के अधीन इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष से पूर्व का हो, नवीकरण के लिए सूचना राज्य के कम से कम दो समाचार पत्रों में अधिसूचना के माध्यम से देगा और प्ररूप ''ङ'' में आवेदन के साथ एक सूचना पत्र भेजेगा.

(2) प्रत्येक व्यक्ति, एक वर्ष के भीतर या इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात् प्रथम बार परिषद् द्वारा नियत किसी अन्य तारीख को और नवीकरण के पांच वर्ष की समाप्ति से 180 दिन के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के साथ प्ररूप ''ङ'' में आवेदन करेगा तथा परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करेगा.

(3) इन नियमों के अधीन देय रजिस्ट्रीकरण फीस और अन्य फीस ऐसी होगी जैसी कि परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट की जाए.

(4) प्रत्येक नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित किया जाएगा और उसकी तत्स्थानी प्रविष्टि होमियोपैथी के राज्य रजिस्टर में की जाएगी, जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुप्रमाणित और हस्ताक्षरित की जाएगी. प्रविष्टि के सत्यापन के पश्चात् प्ररूप ''घ'' में प्रमाण-पत्र संबंधित व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा.

(5) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (2) के अनुसार परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन करने में असफल रहता है तो अधिनियम की धारा 22 के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा. वह परिशिष्ट में यथा-विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने के पश्चात् प्ररूप ''च'' में अपने नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा.

5. **रजिस्टर का प्रकाशन.**—(1) रजिस्ट्रार प्रत्येक पांच वर्ष में रजिस्टर पुनरीक्षित करेगा और उसमें निम्नलिखित की प्रविष्टि करेगा :—

(क) पहले से रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की संख्या;

(ख) रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की संख्या;

(ग) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्टर से हटाये गए हों;

(घ) उन व्यवसायियों की संख्या जिनके नाम रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्टर में प्रत्यावर्तित किए गए हों; और

(ङ) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम, रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान मृत्यु के कारण हटाये गए हों.

(2) रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के पूर्ण होने के पश्चात् 180 दिन के भीतर पुनरीक्षित रजिस्टर मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और पुनरीक्षण से प्रतिकूलत: प्रभावित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों (प्रेक्टिशनर्स) को, उन पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा.

(3) इस प्रकार प्रकाशित यथास्थिति नियम 3 के अनुसार रजिस्टर या पुनरीक्षित रजिस्टर की एक प्रति परिषद के सूचना पटल पर लगायी जाएगी.

(4) रजिस्टर की मुद्रित प्रतियां परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की गई कीमत पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी.

(5) रजिस्ट्रार, प्रत्येक वर्ष के दौरान की गई, परिवर्तित की गई या मिटाई गई समस्त प्रविष्टियों को सत्यापित और अधिप्रमाणित करेगा.

6. **रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र तथा फीस.**—धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्रविष्टि के लिये आवेदन-पत्र प्ररूप "च" में होगा और उसके साथ परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान की रसीद और किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से, अनुप्रमाणित मान्यता प्राप्त अर्हता के प्रमाण-पत्र की एक सत्यप्रतिलिपि होगी. आवेदक, अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में ऐसे अन्य प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतिलिपियां भी संलग्न कर सकेगा. रजिस्ट्रार, सत्यापन के लिए आवेदक से अन्य मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज देने की अपेक्षा कर सकेगा.

7. **अनंतिम रजिस्ट्रीकरण** —(1) किसी अभ्यर्थी को, अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, प्रशिक्षण लेने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने उस मान्यता प्राप्त संस्था के, जिसमें आवेदक को प्रशिक्षण लेने के लिये कहा गया है, प्राचार्य के माध्यम से प्ररूप "छ" में आवेदन न कर दिया हो और अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का भुगतान न कर दिया हो.

(2) अधिनियम की धारा 24 के अधीन मंजूर किया गया अनंतिम रजिस्ट्रीकरण परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा सफल अभ्यर्थी को डिप्लोमा/डिग्री प्रदान किये जाने की उस तारीख से ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो छह मास से अधिक न हो.

(3) वे व्यवसायी जिन्हें प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् प्ररूप "ज" में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है अपना डिप्लोमा/डिग्री अभिप्राप्त करेंगे तथा अधिनियम की धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उपनियम (2) के अधीन नियत किए गए छह मास के भीतर उसकी सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे.

(4) यदि कोई व्यक्ति उप नियम (3) के अधीन उसमें विहित समय के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है तो वह अधिनियम की धारा 24 क खण्ड (क) या (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं रहेगा और उसका नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया जाएगा. अपने नाम के पुन: रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने पर वह परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट विलंब फीस का भुगतान करने के लिये दायी होगा.

8. **अर्हता का जोड़ा जाना** — कोई भी व्यक्ति, जो अपने नाम के सामने अतिरिक्त अर्हता की प्रविष्टि करने की सूचना देता है वह प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन कर सकेगा और परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करेगा.

9. **रजिस्ट्रीकरण की दूसरी प्रति,** — रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन, दूसरी प्रति अभिप्राप्त करने का कारण दर्शाते हुए शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान किया जाएगा.

10. **नाम या उपनाम का परिवर्तन.**— कोई व्यवसायी (प्रेक्टीशनर) जो अपना नाम या उपनाम अथवा पता परिवर्तित करना चाहता है तो वह रजिस्ट्रार को ऐसे परिवर्तन के लिए सबूत के साथ, एक आवेदन करेगा तथा परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करेगा. रजिस्ट्रार प्रविष्टि में परिवर्तन करेगा तथा आवेदक को लिखित में सूचित करेगा.

11. **रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र.**— धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्ररूप "घ" में होगा तथा धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र प्ररूप "ज" में होगा.

12. **राज्य से बाहर सत्यापन.**— यदि कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य से मान्यता प्राप्त अर्हता रखता है, यदि परिषद को रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता है तो वह सत्यापन के लिए विहित फीस का भुगतान करने के लिए दायी होगा. यदि परिषद से रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए अन्य परिषद/बोर्ड से सत्यापन के लिए कहा जाता है तो रजिस्ट्रार परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट फीस की प्राप्ति के पश्चात् ऐसे मामलों का सत्यापन करेगा.

13. **फीस के भुगतान की रीति.**— इन नियमों के अधीन भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित फीस का भुगतान नगद/ मनीआर्डर या रजिस्ट्रार को देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा.

अध्यायं तीन—अपीलें

14. **अपील का ज्ञापन.**—अधिनियम की धारा 48 के अधीन प्रत्येक अपील;—

(क) उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की जाना है, संसूचना की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी;

(ख) परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान के समाधानप्रद सबूत के साथ होगी;

(ग) लिखित में की जाएगी ;

(घ) में आवेदक का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट होगा;

(ङ) में उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील फाईल की जानी है, तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी.

(च) में वह तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जिस पर अपीलार्थी को आदेश की संसूचना दी गई थी;

(छ) के साथ तथ्यों का विवरण संलग्न होगा;

(ज) में प्रार्थित अनुतोष प्रमितत: कथित किया जाएगा; और

(झ) अपीलार्थी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित की जाएगी, अर्थात् :—

"मैं ..... उपर्युक्त अपील के ज्ञापन में नामांकित अपीलार्थी, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि इसमें जो कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है."

....

हस्ताक्षर.

(2) अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अधिप्रमाणित प्रति होगी, ऐसे मामले में, जब तक कि अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करते समय अपील प्राधिकारी का यह समाधान न कर दें कि चूक के लिए पर्याप्त कारण है, वह ऐसे समय के भीतर फाइल की जाएगी, जैसा कि उक्त प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाए.

(3) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में होगा तथा वह अपील प्राधिकारी को या तो अपीलार्थी या उसके अधिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा या उक्त प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा. जब अपील अपीलार्थी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाए तो उसके साथ उसे इस प्रकार नियुक्त करने वाला सम्यक् रूप से स्टांपित प्राधिकार पत्र होगा.

15. **अपील का संक्षेपत: नामंजूर किया जाना.**—(1) यदि अपील का ज्ञापन नियम 14 की समस्त अपेक्षाओं या उनमें से किसी अपेक्षा का अनुपालन नहीं करता है तो अपील संक्षेपत: नामंजूर की जा सकेगी :

परन्तु इस उपनियम के अधीन कोई अपील तब तक संक्षेपत: नामंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी को अपील के ऐसे ज्ञापन में संशोधन करने का ऐसा अवसर, जैसा कि अपील प्राधिकारी उचित समझे, न दे दिया जाए जिससे कि उसे नियम की अपेक्षाओं के अनुरूप लाया जा सके.

(2) कोई अपील किन्ही अन्य आधारों पर भी संक्षेपत: नामंजूर की जा सकेगी जिसे अपील प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा :

परन्तु इस उपनियम के अधीन किसी अपील को संक्षेपत: नामंजूर करने वाला आदेश पारित किए जाने के पूर्व, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

16. **अपील की सुनवाई.**—(1) यदि अपील प्राधिकारी अपील संक्षेपत: नामंजूर नहीं करता है तो वह अपीलार्थी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा.

(2) उक्त प्राधिकारी किसी भी प्रक्रम पर अपील की सुनवाई किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा.

(3) यदि सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को या किसी अन्य तारीख, को, जिस तक सुनवाई स्थगित की गई है, अपीलार्थी या तो व्यक्तिश: या अपीलार्थी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से उक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उक्त प्राधिकारी, अपील को खारिज कर सकेगा या एकपक्षीय विनिश्चय कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

(4) जब उपनियम (3) के अधीन अपील खारिज कर दी जाए या एकपक्षीय विनिश्चय किया जाए तब अपीलार्थी, ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर अपील अधिकारी को अपील के पुन:ग्रहण या पुन: सुनवाई के लिए आवेदन कर सकेगा तथा यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि अपील की सुनवाई के लिए पुकारे जाने पर अपीलार्थी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को तब उसे उपस्थित होने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था, वह अपील को ऐसे निबंधनों जिसमें खर्च संबंधी निबंधन सम्मिलित है तथा शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे, पुन: ग्रहण या पुन: सुनवाई कर सकेगा.

17. **अपील में पारित किये गये आदेश की प्रति का प्रदाय.**—अपील में पारित किये गये आदेश की एक प्रति नि:शुल्क प्रदाय की जाएगी तथा दूसरी प्रति उस अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश से अपील की विषयवस्तु तैयार हुई हो.

18. परिषद इन नियमों से संलग्न प्ररूपों में, यदि अपेक्षित हो, सुधार कर सकेगी,

19. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन या तो धारा 22 या धारा 24 के अधीन पूर्ण है और फीस जमा कर दी गई है किन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने के लिए लंबित है तो यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है.

प्ररूप "क"

[नियम 3 (1) देखिए]

राज्य होमियोपैथी रजिस्टर

अनु क्र.	पिता/पति के नाम सहित नाम	जन्म तारीख	निवास तथा व्यवसाय का स्थान	शैक्षणिक तथा चिकित्सीय अर्हता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विश्वविद्यालय/ बोर्ड का नाम जहां से अर्हता प्राप्त की
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख	नवीकरण की तारीख	नाम हटाये जाने के कारण तारीख तथा नियम जिसके अधीन हटाया गया है	पुन: प्रविष्टि की तारीख	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर	अतिरिक्त अर्हता तथा तारीख	टिप्पणियां
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप ''ख''

[नियम 3 (2) देखिए]

अनु क्र.	पिता/पति के नाम सहित	जन्म तारीख	निवास का पता	शैक्षणिक तथा चिकित्सीय अर्हता	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख	धारा 22(2) के अधीन में पुन: प्रविष्टि तथा तारीख	निरसित नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख	नवीकरण की तारीख	नाम हटाये जाने का कारण तारीख तथा नियम जिसके अधीन हटाया गया है.	पुन: प्रविष्टि की तारीख	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर	अतिरिक्त अर्हता तथा तारीख	टिप्पणियां
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप ''ग''

[नियम 3 (3) देखिए]

अनु.क्र.	पिता/पति के नाम सहित नाम	जन्म तारीख	निवास का पता	शैक्षणिक तथा चिकित्सीय अर्हता	उत्तीर्ण होने का वर्ष	संस्था का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

उस बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, जहां से चिकित्सीय अर्हता उत्तीर्ण की है.	अनंतिम रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	वह तारीख जिस पर इंटर्नशिप पूर्ण की है.	धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण	वह तारीख जिसको डिप्लोमा/डिग्री जारी की गई	टिप्पणियां	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

परिशिष्ट

[नियम 4 (3) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य मामलों के लिए परिषद को देय फीस

अनु क्र. (1)	विशिष्टियां (2)	फीस की दर (3)	नियम क्रमांक (4)
1.	नवीकरण फीस	रु. 300/-	4 (ख)
2.	नवीकरण विलंब फीस	रु. 50/- प्रतिमास अधिकतम रु. 300/- के अध्यधीन	4 (ङ)
3.	धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस	रु. 1500/-	6
4.	धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस	रु. 1000/-	7(1)
5.	धारा 24 से धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विलंब फीस	रु. 100/- प्रतिमास रु. 500/- के अध्यधीन	7(4)
6.	अर्हता की अतिरिक्त प्रविष्ट के लिए फीस	रु. 300/-	8
7.	रजिस्ट्रीकरण की द्वितीय प्रति के लिए फीस	रु. 500/-	9
8.	उपनाम या पते के परिवर्तन के लिए फीस	रु. 200/-	10
9.	सत्यापन फीस	रु. 500/-	12
10	अपील फीस	रु. 100/-	14 (ख)

टिप्पणी.—विहित फीस, डाक प्रभार को अपवर्जित करके है जो परिषद् द्वारा कहे जाने पर पृथक् से देय होंगे.

प्ररूप "घ"

[नियम 3 (4) देखिए]

राज्य होम्योपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश

(मुद्रा)

पास पोर्ट फोटो

रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .... तारीख ....

प्रमाण पत्र दिया जाता है कि श्री/कु. श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति .... निवासी .... जिला .... मध्यप्रदेश को, मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथिक चिकित्सा व्यवसायी के रूप में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है.

प्रमाणित किया जाता है कि व्यवसायी का नाम राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में चालू रखा गया है और तारीख .... को प्रमाण-पत्र नवीकृत किया गया है/पुन: प्रविष्ट किया गया है.

इसके साक्ष्य स्वरूप यहाँ रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हैं तथा परिषद् की मुद्रा लगाई गई है.

(मुद्रा)

भोपाल ..... रजिस्ट्रार

तारीख ..... मुद्रा

नवीकरण तारीख ..... रजिस्ट्रार

मुद्रा

परिषद् में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निवासीय पते/व्यावसायिक पते में परिवर्तन, सरकारी सेवा में नियुक्ति, अतिरिक्त अर्हता, अर्जित करने के संबंध में परिषद् को तुरन्त सूचित करें. यदि वह नवीकरण रजिस्टर में उसका नाम चालू रखने तथा राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में उसका नाम चालू रखने हेतु आवेदन करने में असफल रहता है तो उसका नाम सूचना के बिना राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में से हटा दिया जाएगा.

प्ररूप "ङ"

[नियम 4 (1) देखिए]

नवीकरण हेतु आवेदन

पास पोर्ट फोटो

प्रति,

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश राज्य होमियोपैथी परिषद,
73, जोन-2, एम.पी.नगर,
भोपाल : 462011.

महोदय,

1. मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में मेरा नाम क्रमांक ..... पर प्रविष्ट किया गया है तथा मुझे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक ..... जारी किया गया है. मेरा नाम उक्त रजिस्टर में चालू रखने हेतु, मूल प्रमाण-पत्र तथा फीस रुपये 300/- नकद में/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .....(बैंक का नाम) ..... तथा तीन पास पोर्ट साइज के फोटो संलग्न हैं.

2. मैं नवीकरण तथा राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में अपना नाम चालू रखने हेतु आवेदन करने में असफल रहा हूँ. नवीकरण फीस रु. 300/ तथा अधिकतम रु. 300/- के अध्यधीन रहते हुए अतिरिक्त विलंब फीस रु. 50/- प्रतिमास कुल राशि रु. ..... नकद में/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .....(बैंक का नाम) ..... के माध्यम से संलग्न है.

3. (1) आवेदक का नाम (हिन्दी में) .....

(अंग्रेजी में) .....

(2) पिता/पति का नाम .....

(3) व्यवसाय का स्थान .....

.....

(4) जन्म तारीख तारीख ..... मास ..... वर्ष .....

(अंग्रेजी कलेण्डर में)

(5) अर्हता (क) सामान्य चिकित्सीय .....

(ख) अतिरिक्त अर्हता यदि जोड़ी गई हो. .....

(6) अर्हता अर्जित करने की तारीख तथा वर्ष .....

(7) विश्वविद्यालय/बोर्ड जहां से अर्हता अर्जित की गई सामान्य .....

चिकित्सीय .....

(8) रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख .....

(9) किसी आपराधिक या सिविल अदालत में न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है. मामला क्रमांक .....

दंड की प्रकृति .....

न्यायालय का नाम .....

(10) नवीकरण फीस नकद .....

बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .....

बैंक का नाम .....

विलंब फीस ..... मास के लिए

रु. (कुल) .....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं अभिलेखों के आधार पर सत्य है. प्रशंसा-पत्रों (टेस्टीमोनिअल) की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं.

.....

(आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर)

कार्यालय के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि,—

(1) नवीकरण फीस रु. . . . . .विलंब फीस रु. . . . . .रसीद क्रमांक . . . . . तारीख . . . . . .प्राप्त की गई.

(2) आवेदन के साथ मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है.

(3) नवीकरण की प्रविष्टि रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक . . . . . .पर . की गई है.

. . . . . .
(प्रभारी के हस्ताक्षर)

. . . . . .
(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जावक क्र. . . . . .तारीख . . . . . .को रजिस्ट्रीकृत जावक द्वारा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक . . . . . .तारीख . . . . . .से भेजा गया.

प्रेषक के हस्ताक्षर

प्ररूप "च"

(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए

आवेदन-पत्र का प्ररूप

प्रति,

रजिस्ट्रार,
राज्य होमियोपैथी परिषद,
मध्यप्रदेश
73, जोन-2-एम. पी. नगर,
भोपाल-462011.

पासपोर्ट फोटो

महोदय,

निवेदन है कि मेरा नाम, मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 के अधीन रखे गए राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाय तथा मुझे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए, आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :—

1. पूरा नाम (हिन्दी में) . . . . . .

(अंग्रेजी में) . . . . . .

(विवाहित महिला के मामले में विवाह के पूर्व का भी नाम) .....

2. पिता /पति का नाम (हिन्दी में) .....

(अंग्रेजी में) .....

3. निवास स्थान का पता .....
(मकान क्रमांक, मोहल्ला, डाकघर, ...
ग्राम, जिला, पिनकोड क्रमांक)

4. सरकार में वृत्तिक नियुक्ति तथा धारित पद .....

5. वृत्तिक पता तथा कालावधि के साथ स्थान .....

6. जन्म तारीख, (अंग्रेजी कलेंडर में) .....

7. (क) (1) चिकित्सीय अर्हता (अधिनियम के अधीन) .....

(2) तारीख जिसमें अर्जित की गई .....

(3) विश्वविद्यालय/ बोर्ड जिसने प्रदान की .....

(4) शिक्षा की कालावधि तथा स्थान .....

(ख) चिकित्सा से भिन्न सामान्य .....

(1) अर्हता .....

(2) तारीख जिसको ऐसी अर्हता अर्जित की गई .....

(3) विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था .....

(4) शिक्षा का स्थान तथा कालावधि .....

8. धारा 24 के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

9. संलग्न दस्तावेज .....

(1) जन्म तारीख के लिए
(2) डिप्लोमा/डिग्री

(3) इन्टर्नशिप प्रमाण-पत्र
(4) फीस रसीद
(5) मूल अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र
(6) वृत्तिक शपथ-पत्र

टिप्पण:—कृपया मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें किन्तु अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मूल रूप से अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए.

रजिस्ट्रीकरण हेतु रुपये 1500/- की अपेक्षित फीस/रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मनीआर्डर द्वारा /नगद भुगतान किया गया है कृपया रसीद क्रमांक. . . . . तारीख. . . . . देखिए.

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूं कि उपर्युक्त सभी प्रविष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं.

आवेदन-पत्र के साथ दो पासपोर्ट साइज के फोटो संलग्न हैं.

स्थान .....

भवदीय

तारीख. .....

.....

(आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर)

प्रारूप ''छ''

[नियम 7 (1) देखिए]

मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद्

(मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 24 के अधीन अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन)

प्रति,

रजिस्ट्रार,
राज्य होमियोपैथी परिषद्,
73, जोन-2-एम. पी. नगर,
भोपाल.

महोदय,

कृपया मेरा नाम, मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 के अधीन रखे गए प्ररूप ''ग'' में राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाय और मुझे अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए.

1. पूरा नाम (हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी में) ....

(विवाहित महिला को विवाह के पूर्व का भी नाम वर्णित करना चाहिए) ....

2. पिता /पति का नाम ....

....

3. निवास स्थान का पता ....

4. आयु तथा जन्म तारीख ....

5. शैक्षणिक अर्हता : — ....

....

(क) अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता ....

(ख) शैक्षणिक अर्हता ....

6. (क) तथा (ख) के अधीन परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष ....

7. संस्थान/बोर्ड/परिषद्/विश्वविद्यालय जहां से उत्तीर्ण की है ....

8. होमियोपैथिक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का वर्ष तथा नामांकन क्रमांक ....

टिप्पण.—(1) होमियोपैथी पाठ्यक्रम परीक्षा की अन्तिम परीक्षा की अंकसूची, जन्म तारीख को दर्शाने वाले बोर्ड/विश्वविद्यालय, के प्रमाण पत्र की राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रतियां.

(2) डाक प्रभार को सम्मिलित करते हुए अपेक्षित फीस रुपये........................ के लिए लिखित बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... के माध्यम से प्रेषित की गई या रसीद क्रमांक.............. तारीख.................... द्वारा नगद दी गई.

स्थान ....

भवदीय

तारीख ....

....

आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर.

कार्यालय मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् के उपयोग हेतु

..... को प्राप्त फीस/ रकम. .....

क्या आवेदन पूर्ण/अपूर्ण है और पूर्ण फीस प्राप्त की गई है.

रजिस्ट्रार का आदेश

भार साधक लिपिक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर.

प्ररूप ''ज''

[नियम 7 (3) देखिए]

राज्य होम्योपैथी परिषद् मधप्रदेश

रजिस्ट्रीकरण की अनंतिम प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /कुमारी/श्रीमती .....

..... पुत्र/ पुत्री/पत्नी. ..... निवासी ..... जिला. .....

.को. ..... परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 24 के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर प्रदान किया गया है. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक. ..... .तारीख. ..... .है यह प्रमाण पत्र उसके प्रशिक्षण की कालावधि पूर्ण होने और/या राज्य होमियोपैथी परिषद् या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में अर्हता प्रदान किये जाने तक विधिमान्य रहेगा.

भोपाल

रजिस्ट्रार

तारीख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2000

क्र. एफ.-16-84-98-पचपन-चिशि-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-84-98-पचपन-चिशि-2, दिनांक 11 दिसम्बर 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th December 2000

No. F. 16-84-98-LV-ME-2.—In exercise of the powers conferred by clauses (k), (l), (o) and (q) of sub-section (2) of Section 51 read with Sections 21, 22, 26 and 48 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government repeals the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 1976 and all amendment made thereafter and hereby substitutes the following rules, namely:—

RULES

Chapter I—Preliminary

1. **Short title.**—These rules may be called the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 2000.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Adhiniyam" means the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976);

(b) "Appendix" means the Appendix appended to these rules ;

(c) " Form" means the forms appended to these rules;

(d) "Section" means a Section of the Act;

(e) "Schedule" means the schedule appended to the Adhiniyam and Homoeopathy Central Council Act, 1973;

(f) "Year" means a calendar year.

Chapter II—Registration

3. **State Registers of Homoeopathy.** The Registers under Section 21 shall be maintained in Form "A" "B" and "C".

(1) The Register for sub-section (1) of Section 22 shall be in Form "A" for persons who possess qualification mentioned in the Schedule of Adhiniyam.

(2) The Register for sub-section (2) of Section 22 Shall be in Form "B" for persons who were enrolled under Section 16 (2) of the Madhya Pradesh Homoeopathic and Biochemic Practitioners Act, 1951 repealed by the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 and who were entered in the register maintained under rule 3(1) of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 1976.

(3) The Register for Section 24 shall be in Form "C" for persons required to undrgo for training for a period specified in the recognised courses to pass the qualifying examination.

(4) The persons entered in the register maintained under the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 1976 shall be allotted new registration numbers in the sequential order in respective registers in Form"A" and "B" and certificate of Registration in Form "D" shall be issued.

(5) Each page of the Register shall be verified and signed by the Registrar.

4. **Verification and Renewal.** (1) The Registrar shall verify the State Register of Homoeopathy after every five years and shall intimate for renewal to all such practitioners enrolled earlier than one year form the date of publication of these rules under section 22 of the Act, through a notification in atleast two State News papers, and send a letter of intimation alongwith an application in Form "E".

(2) Every person, within one year or on any other date fixed by the Council for the first time after publication of these rules and within 180 days from the expiry of five years of renewal, shall apply in Form "E" alongwith his certificate of registration, and pay the fee as specified in the Appendix.

(3) The Registration fee and other fees payable under these rules shall be such as specified in the Appendix.

(4) Every registration certificate renewed, shall be endorsed and its corresponding entry shall be made in the State Register of Homoeopathy, which shall be attested and signed by the Registrar. After verification of the entry, the certificate in Form"D" shall be sent to the person concerned through registered post.

(5) If any person fails to apply alongwith the fee as specified in the Appendix in acocrdance with sub-rule (2) his registration under section 22 of the Adhiniyam, shall be cancelled. He may apply for restoration of his name in Form "F" after paying the fee as specified in the Appendix.

5. **Publication of the Register.**—(1) the Registrar shall revise the register every five year and enter therein:—

(a) the number of practitioners already registered;

(b) the number of practitioners registered during the period of five years preceding the revision of the Register;

(c) the number of practitioners whose names have been removed from the register during the period of five years preceding the revision of the Register stating the sub-section and Section of the Adhiniyam under which the names have been removed;

(d) the number of practitioners whose names have been restored to the register during the period of five years preceding the revision of the register; and

(e) the number of practitioners whose names have been removed by reason of death during the period of five years preceding the revision of the register.

(2) The revised register shall be published in the Madhya Pradesh Gazette within 180 days after completion of the period of five years preceding the revision of the register and the registered practitioners adversely affected by the revision shall be informed of the adverse effects on them, by registered post.

(3) A copy of the register in accordance with rule 3 or the revised register, as the case may be, so published, shall be affixed on the notice-board of the Council.

(4) Printed copies of the register may be made available for sale at a price to be decided by the Council.

(5) The Registrar shall verify and authenticate all entries that may be made, altered or erased during each year.

6. **Application and fees for Registration.**—The application for entry under sub-section (1) of Section 22 shall be in Form "F" and shall be accompanied by a receipt of payment of fee as specified in the appendix, and a true copy of certificate of recognised qualification duly attested by a Magistrate or a Gazetted Officer. The applicant may also enclose attested copies of such other certificates and documents in support of his application. The Registrar may require the applicant to furnish any other certificate/ document in original for verfication.

7. **Provisional Registration.**—(1) No candidate after passing the qualifying examination shall be allowed to undergo training unless he has applied in Form "G" through the principal of the recognised institution in which the applicant has been asked to undrego training and paid the fees for Provisional registration.

(2) The provisional registration granted under section 24 of the Adhiniyam shall remain in force for a period no exceeding 6 months from the date on which the Council/University awarded diploma/degree to the successful candidate.

(3) The practitioner who has been granted the provisional registration in Form "H" after completion of training shall obtain his diploma/degree and submit its copy duly attested to the Registrar within 6 months fixed under sub-rule (2) for registration under Section 22 of the Adhiniyam.

(4) If any person fails to apply under sub-rule (3) within the time prescribed therein, he shall cease to be registered under clause (a) or (b) of Section 24 of the Adhiniyam and his name shall be removed from the State Register. On application for re-registration of his name, he shall be liable to pay late fee as specified in Appendix.

8. **Addition of qualification.**—Any persons who intimate to enter any additional qualification against his name may make an application alongwith the certificate and shall pay the fee as specified in the Appendix.

9. **Duplicate copy of Registration.** An application for a duplicate copy of registration certificate shall be submitted to the Registrar accompanied by an affidavit showing cause for obtaining the duplicate copy and shall pay the fee as specified in the Appendix.

10. **Change of name or surname.**—Any practitioner willing to change his/her name or surname or address shall make an application alongwith proof for such change to the Registrar, and shall pay the fee as specified in the Appendix. The Registrar shall change the entry and inform the applicant in writing.

11. **Certificate of registration.**— The certificate of registration under sub-section (3) of Section 22 shall be in Form"D" and the provisional certificate of registration under Section 24 shall be in Form "H".

12. **Verification from outside State.**—Any person who holds recognised qualification from the State other than Madhya Pradesh, if applied for registration to the Council, shall be liable to pay the prescribed fee for verification. If the Council is asked for verification from other Council/ Board for granting registration, the Registrar shall verify such cases after receipt of the fee as specified in the Appendix.

13. **Manner of payment of fee.**—The fee required to be paid under these rules may be paid in cash/ money order or through Bank Draft payable to the Registrar.

Chapter III—Appeals

14. **Memorandum of Appeal.**—(1) Every appeal under Section 48 of the Adhiniyam shall.

(a) be filed within forty five days from the date of communication of the order against which the appeal is to be filed;

(b) be accompanied by a satisfactory proof of payment of a fee specified in the Appendix;

(c) apply in writing;

(d) specify the name and address of the appellant;

(e) specify the date of the order against which the appeal is to be filed;

(f) specify the date on which the order was communicated to the appellant;

(g) enclosed a statement of facts;

(h) state precisely the relief prayed for k and;

(i) be signed and verified by the appellant or an agent duly authorised by him in writing in this behalf in the following form, namely:—

"I.....the appellant named in the above memorandum of appeal do hereby declare that what is stated therein is true to the best of my knowledge and belief".

.....

Signature

(2) The memorandum of appeal shall be accompanied by an authenticated copy of the order against which the appeal is preferred, unless the appellant satisfies the appellate authority at the time of presentation of the appeal that there is sufficient cause for omission in such case it shall be filed within such time as may be fixed by the said authority.

(3) The memorandum of appeal shall be in duplicate and shall be presented to the appellate authority either by the appellant or his agent or sent to said authority by registered post. When an appeal is presented by an agent duly authorised by the appellant it shall be accompanied by a duly stamped letter of authority appointing him as such.

15. **Summary rejection of appeal.**—(1) If the memorandum of appeal does not comply with all or any of the requirements of rule 14. The appeal may be summarily rejected;

Provided that no appeal shall be summarily rejected under this sub-rule unless the appellant is given such opportunity as the appellate authority thinks fit to amend such memorandum of appeal so as to bring it into conformity with the requirements of rule.

(2) An appeal may also be summarily rejected on any other grounds which shall be reduced to writing by the appellate authority :

Provided that before an order summarily rejecting an appeal under this sub-rule is passed, the appelant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

16. **Hearing of appeal.**—(1) If the appellate authority does not reject the appeal summarily, it shall fix a date for hearing the appellant or his duly authorised agent.

(2) The said authority may at any stage adjourn the hearing of an appeal to any other date.

(3) If on the date fixed for hearing or any other date to which the hearing is adjourned, the appellant does not appear before the said authority either in person or through an agent duly authorised by the appellant, the said authority may dismiss the appeal or may decide it exparte as it thinks fit.

(4) When an appeal is dismissed or decided exparte under sub-rule (3), the appellant may within 60 days from the date of communication of such order apply to the appellate authority for re-admission or re-hearing of the appeal and if the appellate authority is satisfied that the appellant or an agent duly authorised was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing he may, re-admit or re-hear the appeal upon such terms including terms as to cost and conditions as it may think fit.

17. **Supply of copy of order passed in appeal.**— A copy of the order passed in appeal shall be supplied free of cost to the appellant and another copy shall be sent to the officer whose order forms the subject matter of the appeal.

18. The Council, if required, may make correction in the forms appended to these rules.

19. **Repeal and saving.**—All rules corresponding to these rules inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any application for registration either u/s 22 or 24 is complete and fee deposited but pending for grant of registration under the rules so repealed shall be deemed to have made under the corresponding provisions of these rules.

FORM "A"

[See Rule 3 (1)]

State Register of Homoeopathy

S. No.	Name with Father's/ husband's name	Date of birth	Residence and place of practice	Qualification academic and medical	Year of passing	Name of University/ Board acquired from	Registration Number and date	Renewal date	Reason for removal of name, date and Rule under which remove	Re-entry date	Signature of Registrar	Additional qualification and date	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

FORM " B "

[*See Rule* 3 (2)]

S. No.	Name with Father's/ Husband's name	Date of birth	Residential address	Qualification academic and medical	Registration No. & date	Re-entry u/s 22(2) and date	Registration under repeald Rules	Registration No. & date	Renewal Date	Reason for removal of name, date and Rule under which removed	Re-entry date	Signature of Registrar	Additional qualification and date	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

FORM " C "

[*See Rule* 3 (3)]

S. No.	Name with Father's/ Husband's name	Date of birth	Residential address	Qualification academic & Medical	Year of passing	Name of Institution	Name of Board or University passing the Medical qualification	Provisional Registration No.	Date on which internship completed	Registration u/s 22	Date on which diploma/ degree issued	Signature of Registrar	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

APPENDIX

[*See Rule* 4 (3)]

Fees payable to the Council for registration and other matters

S.No.	Particulars	Rate of fee	Rule No.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Renewal fee	Rs. 300/-	4 (b)
2.	Renewal late fee	Rs. 50/– per month subject to maximum of Rs. 300/-	4 (e)
3.	Registration fee u/s 22	Rs. 1,500/-	6
4.	Registration fee u/s 24	Rs. 1,000/-	7 (1)
5.	Late fee for Registration u/s 22 from section 24.	Rs. 100/- per month subject to maximum of Rs. 500/-	7 (4)
6.	Fee for additional entry of qualification	Rs. 300/-	8
7.	Fee for duplicate copy of registration	Rs. 500/-	9
8.	Fee for change of surname or address	Rs. 200/-	10
9.	Verification fee	Rs. 500/	12
10.	Appeal fee	Rs. 100/-	14 (b)

Note.—the prescribed fees are excluding the postal charges which shall be payable seprately if asked by the Parishad.

FORM "D"

[*See* Rule 3(a)]

Pass Port Photo

State Homoeopathy Council Madhya Pradesh

(SEAL)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

REGISTRATION NO. ..... DATE .....

CERTIFICATE is granted that Shri/Ku./ Shrimati ..... Resident of .....
Son/Daughter/Wife of ..... District .....
..... of Madhya Pradesh has been duly registered as a registered Homoeopathic Practitioner under Section 22 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976.

CERTIFIED that the name of the Practitioner has been continued in the State Register of Homoeopathy and the Certificate has been renewed on ..... /re-entered.

In witness where of are herewith affixed the signature of the Registrar and Seal of the Council.

(Seal) Registrar
Seal

Bhopal :
Dated. .....

RENEWAL Date. ..... Registrar
Seal

(The Practitioner registered with the Council is expected to inform immediately any change in his residential/ professional address, appointment in Government Service, acquir additional qualification. The name from the State Register of Homoeopathy shall be removed without notice if falled to apply for renewal and continuation of name in the State Register of Homoeopathy).

FORM "E"

[*See* Rule 4 (1)]

APPLICATION FOR RENEWAL

To,
The Registarar,
M.P. State Council of Homoeopathy,
73, Zone-II, M.P. Nagar,
Bhopal- 462011.

Pass Port Size Photo

Sir,

My name is entered in the State Register of Homoeopathy under the provisions of M.P. Homoeopathy Parishad Adhininyam, 1976 at No. ..... and Registration Certificate bearing No. ..... has been issued to me. For continuing my name in the said Register the certificate in original alongwith the fee Rs. 300/- in cash/Bank Draft (Name of Bank ..... and three pass part size photos are enclosed.

2. I have failed to apply for renewal and continuation of my name in the State Register of Homoeopathy, the renewal fee of Rs. 300/- and additional late fee of Rs. 50/- per month subject to be maximum of Rs. 300/- Total Rs. ..... in cash/through Bank Draft No. .....(Name of Bank) ..... are enclosed.

3. (1) Name of Applicant (In Hindi) .....

(In English) .....

(2) Name of Father/Husband .....

(3) Place of practice .....

.....

(4) Date of Birth .....
(In English Calander)

Date .....Month .....Year .....

(5) Qualification- (a) General .....
Medical
(b) Additional qualification .....
if added.

(6) Qualification acquired on .....

date .....Year .....

(7) University/Board from General .....
where qualification acquired

(8) Registration No. and date .....

.....

(9) Punished by Court in any criminal .....
or professional Case No. .....
Mis-conduct Nature of .....

Punishment. .....
Name of court. .....

(10) Renewal fee In cash. .....

Bank draft No. .....

Name of Bank. .....

Late fee: .....for month

Rs. (Total). .....

Certified that the information furnished above is true to the best of my knowledge and records. The attested copies of testimonials are enclosed.

(Name of applicant
and Signature)

FOR OFFICE USE

Certified that—

(1) The Renewal fee Rs. . . . .late fee Rs.. . . . . .
. . . . . R. No. . . . . .Date. . . . . .
. . . . . .has been received.

(2) The certificate in original has been received with the application.

(3) The entry of Renewal has been made on. . . . . .(Page No.) in the Register.

(Signature of Registrar)

(Signature of Incharge)

The certificate of Registration has been sent vide D. No.. . . . . .Date. . . . . .

by Registered post R. No.. . . . . .Date. . . . . .

(Signature of Despatcher)

FORM "F"

(*See* Rule 6)

Form of Application for Registration under sub-section (1) of Section 22 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976.

To,

The Registrar,
State Council of Homoeopathy,
Madhya Pradesh,
73, Zone-II, M.P. Nagar.
BHOPAL-462011.

Pass Port Size Photo

Sir,

I request that my name may be entered in the State Register of Homoeopathy maintained under the Madhya Pradesh, Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 and that I may be furnished with a Certificate of Registration necessary particulars are given under.—

1. Full name (in Hindi) . . . . . .
(Maiden name also in case of married woman). (in English) . . . . . .
2. Father's/Husband's name (in Hindi) . . . . . .

(in English)

3. Residential address (House No., Mohalla, Post Office, Village, District, Pin Code No.) .....

4. Professional appointment in Government and post held. .....

5. Professional address and places with period. .....

6. Date of birth (In English Calander) .....

7. (A) (1) Medical Qualification (Under the Act) .....

(2) Date on which acquired .....

(3) University/Board which granted .....

(4) Period of Education and place .....

(B) General other than Medical—

(1) Qualification .....

(2) Date on which acquired .....

(3) University/Board/Institution .....

(4) Place of Education and period .....

8. The Provisional Registration No. U/s. 24 .....

9. Documents enclosed .....

(1) For date of birth
(2) Diploma/Degree .....
(3) Certificate of Internship .....
(4) Fee receipt .....
(5) Original Provisional Registration Certificate. .....
(6) Professional Affidaivit .....

NOTE :—Please attach the copies of certificates/documents of qualification matriculation/H. S. S. Certificate, duly attested by a Magistrate or a Gazetted Officer but provisional registration certificate in original must be attested.

The requisite fee of Rs. 1,500/- for registration through crossed Bank Draft/M.O. in cash is paid. Please see Receipt No..... Date .....

I solemnly declare that all the entries above are true to the best of my knowledge and belief. Enclosed two Pass Port Size photo with application form.

Yours faithfully,

Place .....
Date .....

.....
(Name and signature of applicant)

FORM "G"

[*See* Rule 7 (1)]

MADHYA PRADESH HOMOEOPATHY PARISHAD

(Application for provisional Registration under Section 24 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976).

To,

The Registrar,
State Council of Homoeopathy,
73, Zone-II, M.P. Nagar,
BHOPAL.

Sir,

Please enter my name in the register in Form "G" maintained under the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 and grant me the provisional registration certificate.

1. Full name (in Hindi) (Married woman must mention the premarital name) (In English) .....
2. Father's/Husband's name .....
3. Residential address .....
4. Age and date of birth .....
5. Educational qualification—
   (a) Medical qualification recognised under the Act. .....
   (b) Academic qualification .....
6. Year of passing the examination under (a) and (b). .....
7. Institution/Board/Council/University where from passed. .....
8. Year of Admission in 1st year of Homoeopathic course and enrolment No. .....

Note.— (1) The copies of the Final Examination Mark Sheet of Homoeopathic Course Examination, the certificate of Board/University showing the date of birth duly attested by a Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.